प्रार्थी एवं अप्रार्थी फर्म की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा उपस्थित हुए। इन्होंने दस्तावेज सूची में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 3/4/18 की फोटो प्रति पेश की। फर्म शामिल रहे अप्रार्थीगण अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17/4/18 को पेश हो।

17/4/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी वकील सुरेश कावड़िया हेतु दिनांक 23/4/18 को पेश हो।

23/4/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी
पत्रावली पूर्वानुसार कोर्ट फीस / स्टाम्प साँथपुरा में
दिनांक 21/05/2018 को पेश हो।

पुनर्स्थापन

20/6/18 पत्रावली आज दिनांक को न्याय आपके द्वारा डम्प साईपाइ में प्रस्तुत हुई झूलवाड़ में निर्णय हो चुका है। अब इस प्रा० पत्र का कोई औचित्य नहीं है इसलिये खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर 15 का बोझा वर्ष बाकिया रखकर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़